



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



सी.बी.एस.ई./कौ.शि./सहा. प्रो. व सहा. नि./2026/

10.04.2026

अधिसूचना

कौशल विषय “आशुलिपि हिंदी (826)”

के लिए शिक्षकों हेतु एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑफलाइन मोड)

कौशल शिक्षा विभाग, सीबीएसई द्वारा संबद्ध विद्यालयों के उन शिक्षकों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जा रहा है जो पहले से ही “आशुलिपि हिंदी (826)” विषय पढ़ा रहे हैं या इसे पढ़ाने के इच्छुक हैं।

कौशल विषय और दिनांक	स्थल	समय	पंजीकरण लिंक	पंजीकरण की अंतिम तिथि
आशुलिपि हिंदी (826) 23 अप्रैल 2026 (गुरुवार)	YWCA दिल्ली, महिला प्रशिक्षण संस्थान, गेट न. 3, बंगला साहिब लेन, 1 अशोक रोड, हनुमान रोड एरिया, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001	सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक	https://forms.gle/MB73RN2EXCuHLDFv8 https://forms.gle/MB73RN2EXCuHLDFv8	21 अप्रैल 2026 (मंगलवार)

*यदि लिंक काम नहीं करता है, तो कृपया ब्राउज़र में पता कॉपी करके पेस्ट करें।

कृपया ध्यान दें कि:

1. यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा।
2. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए है जो पहले से ही इस कौशल विषय को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं।
3. सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के उन शिक्षकों के लिए, जो इस कौशल विषय को पढ़ा रहे हैं, निर्धारित तिथि के अनुसार प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।
4. बोर्ड द्वारा कोई टीए/डीए देय नहीं है।
5. उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं है।
6. आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद ही बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न या जानकारी के लिए, कृपया कौशल शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर एवं सहायक निदेशक, कौशल शिक्षा विभाग को drpoojaakshay.cbse@gmail.com पर लिखें।

विश्वजीत साहा

(डॉ. विश्वजीत साहा)

प्रोफेसर एवं निदेशक (कौशल शिक्षा)



2nd Floor, CBSE Integrated Office Complex, Sector 23, Dwarka, New Delhi -110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



प्रतिलिपि नीचे दर्शाए अनुसार निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्कूलों में सूचना प्रसारित करें:

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, दिल्ली 110016।
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा -201309।
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054।
4. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ -160017।
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101।
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, सरकार। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर - 791 111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
8. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी, नई दिल्ली।
9. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001।
10. अतिरिक्त निदेशक, सेना शिक्षा जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली - 110001।
11. निदेशक, नौसेना शिक्षा सोसायटी, नौसेना शिक्षा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, पश्चिम ब्लॉक-वी, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066।
12. सचिव, एडव्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना), एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट - 110010।
13. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
14. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, N-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
15. अध्यक्ष के उप सचिव, CBSE - अध्यक्ष, CBSE की जानकारी हेतु।
16. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक।
17. सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य-सीओई, CBSE से अनुरोध है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को अनुपालन के लिए यह परिपत्र भेजें।
18. निदेशक (मीडिया एवं जनसंपर्क), सीबीएसई – इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार करने के अनुरोध के साथ।
19. संयुक्त सचिव (आईटी), सीबीएसई, द्वारका – इस अधिसूचना को सीबीएसई अकादमिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
20. प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ, सीबीएसई मुख्यालय – इस अधिसूचना के हिंदी अनुवाद के लिए।

प्रोफेसर एवं निदेशक (कौशल शिक्षा)



2nd Floor, CBSE Integrated Office Complex, Sector 23, Dwarka, New Delhi -110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRALBOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



CBSE/SE/AP&AD/2026/

10.04.2026

NOTIFICATION

One Day Capacity building programme for teachers for the skill subject “Shorthand Hindi (826)” (OFFLINE MODE)

The Department of Skill Education, CBSE is going to organize a one-day capacity building programme for teachers of CBSE affiliated schools who are already teaching or are willing to take-up this skill subject “Shorthand Hindi (826)” as per the details mentioned below:

Skill Subject And Date	Venue	Timing	Registration Link	Last date of registration
Shorthand Hindi (826) 23th April 2026 (Thursday)	YWCA of Delhi Women’s Training Institute Gate no.-3, Bangla Sahib Lane, 1 Ashoka Road, Hanuman Road Area, Connaught Place, New Delhi - 110001	10:00 AM to 5:00 PM	https://forms.gle/MB73RN2EXCuHLDFv8	21 th April 2025 (Tuesday)

*In case the link doesn’t work, please copy and paste the address in the browser.

Please note that:

1. This capacity building programme will be conducted in an **OFFLINE MODE**.
2. This training programme is meant for the teachers of the schools who already have or are going to introduce this skill subject.
3. It is mandatory for the teachers of the CBSE affiliated schools who are teaching this skill subject to attend training as per stipulated date.
4. No TA/DA is admissible by the Board.
5. There is no participation fee for attending the above training programme.
6. Certificates would be given by the board only after ensuring your participation.

For any queries or information, please write to Assistant Professor & Assistant Director,
Department of Skill Education at drpoojaakshay.cbse@gmail.com

Biswajit Saha

(Dr. Biswajit Saha)
Professor & Director (SE)





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



Copy to the respective Heads of Directorates, Organizations and Institutions as indicated below with a request to disseminate the information to all the schools under their jurisdiction:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, Delhi-110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Sector-62, Institutional Area, Noida – 201309.
3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.
4. The Director of Public Instructions (Schools), Union Territory Secretariat, Sector 9, Chandigarh – 160017.
5. The Director of Education, Govt. of Sikkim, Gangtok, Sikkim – 737101.
6. The Director of School Education, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar - 791 111
7. The Director of Education, Govt. of Andaman & Nicobar Islands, Port Blair – 744101
8. The Director, Central Tibetan School Administration, ESSESS Plaza, Community Centre, Sector 3, Rohini, New Delhi.
9. The Secretary, Sainik Schools Society, Room No.101, D-1 Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110001.
10. The Additional Director, General of Army Education, A – Wing, Sena Bhawan, DHQ, PO, New Delhi – 110001.
11. The Director, The Navy Education Society, Dte of Naval Education, Navel Headquarters, Ministry of Defence, West Block-V, RK Puram, New Delhi-110066.
12. The Secretary, AWES, Integrated Headquarters of MoD (Army), FDR Building No. 202, Shankar Vihar (Near APS), Delhi Cantt – 110010.
13. The Secretary, Eklavya Model Residential Schools (EMRS), Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
14. The Chairman, Odisha Adarsha Vidyalaya Sangathan, N-1/9, Near Doordarshan Kendra, PO Sainik School Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha-751005
15. The Deputy Secretary to Chairman, CBSE - for kind information of the Chairman, CBSE.
16. All the Heads of Department/ Directors of the Board.
17. All the Regional Directors/Regional Officers/Head-COE, CBSE with the request. to send this circular to all the Heads of the affiliated schools of the Board in their respective regions for compliance.
18. Director (Media & Public Relations), CBSE – with a request to give wider publicity to this notification.
19. Joint Secretary (IT), CBSE, Dwarka with the request to upload this notification on the CBSE Academic website.
20. Incharge, Hindi Cell, CBSE HQ – for Hindi Translation of this notification.

Professor & Director (SE)



2nd Floor, CBSE Integrated Office Complex, Sector 23, Dwarka, New Delhi –110077

